न्यायालय – विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमंद

पीठासीन अधिकारी – अभिलाषा शर्मा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक।

––– अभियोजन

बनाम

1. खरताराम पिता डालू भील, उम्र 35 साल,
2. प्रताप पिता डालू भील, उम्र 40 साल,

   उक्त निवासियान पोकरीया, थाना केलवाडा, राजसमंद।
3. कन्नाराम उर्फ किशन पिता शंकरलाल भील, उम्र 22 साल,
4. डूंगाराम पिता केसाराम, उम्र 40 साल,
5. पुनाराम पिता वजाराम, उम्र 27 साल,
6. मिकाराम उर्फ भिकाराम पिता नंगाजी भील, उम्र 50 साल,
7. लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम पिता नंगाजी भील, उम्र 40 साल,

   उक्त निवासियान कोटडा, थाना केलवाडा, जिला राजसमंद।

––– अभियुक्तगण

सेशन प्रकरण (एस.सी./एस.टी. एक्ट) संख्या	124/2025
सी.आई.एस नंबर	37/2022
सी.एन.आर नंबर	RJRS010012372022
प्रथम सूचना रिपोर्ट व थाना	49/2022 पुलिस थाना केलवाडा
अपराध अंतर्गत धारा	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
निर्णय दिनांक	23.04.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

अपराध की तिथि	15–02–2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश करने की तिथि	20–02–2022
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	18–05–2022
आरोप सुनाए जाने की तिथि	28–07–2022
साक्ष्य आरंभ किए जाने की तिथि	18–08–2022

साक्ष्य पूर्ण होने की तिथि	09-02-2026
बयान मुल्जिम लेखबद्ध किए जाने की तिथि	18-02-2026

अभियुक्तगण का विवरण

क्र.स.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर छोड़े जाने की तिथि	अभियुक्तगण के आरोप का विवरण	दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दिए गए दण्ड का विवरण (यदि कोई हो तो)	धारा 468 BNSS (428 CRPC) के परिप्रेक्ष्य में अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
1	खरताराम	26.02.22	13.04.23	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट	दोषमुक्त	शून्य	26.02.22 से 13.04.23
2	प्रताप	26.02.22	03.12.22	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	शून्य	26.02.22 से 03.12.22
3	कन्नाराम उर्फ किशन	26.02.22	03.12.22	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	शून्य	26.02.22 से 03.12.22
4	डुंगाराम	26.02.22	03.12.22	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	शून्य	26.02.22 से 03.12.22
5	पुनाराम	26.02.22	03.12.22	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	शून्य	26.02.22 से 03.12.22
6	मिकाराम उर्फ भिकाराम	04.03.22	03.12.22	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	शून्य	04.03.22 से 03.12.22
7	लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम	04.03.22	03.12.22	302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	शून्य	04.03.22 से 03.12.22

अभियोजन साक्षियों की सूची

क्रम सं.	अभियोजन साक्षी क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
01	PW.01	गणेशराम	एफआईआर की ताईद
02	PW.02	श्रीमती गुलाबी	वाकियाती शहादत

03	PW.03	हेमाराम	वाकियाती शहादत
04	PW.04	लालूराम	वाकियाती शहादत
05	PW.05	मांगीलाल	फर्द पंचायतनामा लाश की ताईद
06	PW.06	वरदादास	फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश, नक शा मौका, फर्द जब्ती, फर्द बरामदगी, फर्द मौका तस्दीक आदि की ताईद
07	PW.07	रामदास	फर्द पंचायतनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश, नक शा मौका, फर्द जब्ती आदि की ताईद
08	PW.08	खमाणलाल	फर्द पंचायतनामा लाश की ताईद
09	PW.09	धन्नाराम	फर्द पंचायतनामा लाश की ताईद
10	PW.10	कनाराम	वाकियाती शहादत
11	PW.11	पूनाराम	वाकियाती शहादत
12	PW.12	राकेश कुमार	फर्द गिरफ्तारी खरताराम, प्रताप, कन्नाराम, डूंगाराम, पुनाराम की ताईद
13	PW.13	प्रदीप सिंह	फर्द गिरफ्तारी खरताराम, प्रताप, कन्नाराम, डूंगाराम, पुनाराम, फर्द बरामदगी बंदूक, फर्द मौका तस्दीक, फर्द बरामदगी स्थल व मालखाना रजिस्टर की ताईद
14	PW.14	डॉ नागेन्द्रपाल सिंह	चिकित्साधिकारी होकर मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ताईद
15	PW.15	डॉ मनोज	चिकित्साधिकारी होकर मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ताईद
16	PW.16	रितेश कुमार	एफएसएल जमा कराने की ताईद
17	PW.17	नरेन्द्र कुमार	फर्द गिरफ्तारी लक्ष्मणराम, मिकाराम की ताईद
18	PW.18	इन्द्र सिंह	फर्द गिरफ्तारी लक्ष्मणराम, मिकाराम, फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल की ताईद
19	PW.19	परथाराम	अभियुक्त खरताराम के मकान की ताईद
20	PW.20	प्रेमराज	मौका पर्चा व रिपोर्ट पटवारी हल्का की ताईद
21	PW.21	बाबूलाल	मृतक रताराम की पूर्व में थाना हाजा पर दर्ज एमपीआर नंबर 11/22 की जांच की ताईद
22	PW.22	जयपाल सिंह	अभियुक्त खरताराम से जब्तशुदा बंदूक का आर्म्स लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड की ताईद
23	PW.23	जयप्रकाश	बरामदशुदा बंदूक का निरीक्षण करने की ताईद
24	PW.24	सचिन राठी	मृतक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल व धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र की ताईद
25	PW.25	प्रवीण टांक	अनुसंधानाधिकारी

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों/प्रदर्शों की सूची

क्रम संख्या	प्रदर्श मार्क	दस्तावेज का नाम
01	प्रदर्श पी–01	लिखित रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	फर्द नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी–03	फर्द पंचायतनामा लाश
04	प्रदर्श पी–04	फर्द सुपुर्दगी लाश
05	प्रदर्श पी–05	मृतक रताराम की गुमशुदगी बाबत रिपोर्ट
06	प्रदर्श पी–06	हेमाराम के पुलिस बयान
07	प्रदर्श पी–07	लालूराम के पुलिस बयान
08	प्रदर्श पी–08	फर्द जब्ती खून आलुदा मिट्टी
09	प्रदर्श पी–09	मृतक की लाश के पास से पायी गयी टोपीदार बंदूक की फर्द जब्ती
10	प्रदर्श पी–10	फर्द जब्ती लोहे का धारदार छुर्रा
11	प्रदर्श पी–11	फर्द जब्ती जीओ कंपनी का मोबाइल
12	प्रदर्श पी–12	अभियुक्त खरताराम के मकान से मिली टोपीदार बंदूक की फर्द जब्ती
13	प्रदर्श पी–13	अभियुक्त खरताराम की निशादेही ही फर्द बरामदगी स्थल बंदूक
14	प्रदर्श पी–14	अभियुक्त खरताराम, प्रताप, कन्नाराम, पुनाराम व डुंगाराम की निशादेही से फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल
15	प्रदर्श पी–15	अभियुक्त मिकाराम व लक्ष्मणराम की निशादेही से फर्द मौका तस्दीक घटनास्थल
16	प्रदर्श पी–16	फर्द गिरफ्तारी खरताराम
17	प्रदर्श पी–17	फर्द गिरफ्तारी प्रताप
18	प्रदर्श पी–18	फर्द गिरफ्तारी कन्नाराम
19	प्रदर्श पी–19	फर्द गिरफ्तारी डूंगाराम
20	प्रदर्श पी–20	फर्द गिरफ्तारी पूनाराम
21	प्रदर्श पी–21	थाना केलवाडा द्वारा मृतक की बॉडी में से निकले 2 शीशे के छर्रो की एफएसएल जांच हेतु जारी अग्रेषण पत्र
22	प्रदर्श पी–22	एसपी कार्यालय द्वारा उक्त वर्णित आर्टिकल की जांच हेतु एफएसएल को जारी पत्र
23	प्रदर्श पी–23	उक्त आर्टिकल की एफएसएल जमा रसीद
24	प्रदर्श पी–24 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति
25	प्रदर्श पी–25 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रति

26	प्रदर्श पी–25	चिकित्साधिकारी को जारी तहरीर
27	प्रदर्श पी–26	मृतक रताराम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
28	प्रदर्श पी–27	थाना केलवाडा द्वारा खून आलुटा मिट्टी, कन्ट्रोल मिट्टी व टोपीदार बंदूक की एफएसएल जांच हेतु जारी अग्रेषण पत्र
29	प्रदर्श पी–28	एसपी कार्यालय द्वारा उक्त वर्णित आर्टिकल की जांच हेतु एफएसएल को जारी पत्र
30	प्रदर्श पी–29	उक्त आर्टिकल की एफएसएल जमा रसीद
31	प्रदर्श पी–30	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त लक्ष्मणराम
32	प्रदर्श पी–31	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मिकाराम
33	प्रदर्श पी–32	ग्राम पंचायत वरदडा से प्राप्त रिकॉर्ड
34	प्रदर्श पी–33	पटवारी हल्का वरदडा की रिपोर्ट
35	प्रदर्श पी–34	मौका पर्चा मौजा कोटडा पटवार–मण्डल वरदडा
36	प्रदर्श पी–35	बरामदशुदा बंदूक के लाइसेंस संबंधी रिकॉर्ड चाहने बाबत पत्र
37	प्रदर्श पी–36	बंदूक की जांच रिपोर्ट चाहने बाबत पत्र
38	प्रदर्श पी–37	फर्द बंदूक निरीक्षण रिपोर्ट
39	प्रदर्श पी–38	धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र व कॉल डिटेल्स
40	प्रदर्श पी–39	अभियुक्त खरताराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
41	प्रदर्श पी–40 लगायत पी– 43	मृतक रताराम के छायाचित्र
42	प्रदर्श पी–44	अभियुक्त खरताराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
43	प्रदर्श पी–45	अभियुक्त प्रताप द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
44	प्रदर्श पी–46	अभियुक्त कन्नाराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
45	प्रदर्श पी–47	अभियुक्त डुंगाराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
46	प्रदर्श पी–48	अभियुक्त पुनाराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
47	प्रदर्श पी–49	अभियुक्त मिकाराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
48	प्रदर्श पी–50	अभियुक्त लक्ष्मणराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की सूचना
49	प्रदर्श पी–51	बरामदगी स्थल के रेवेन्यू रिकॉर्ड बाबत पटवारी को जारी पत्र

50	प्रदर्श पी–52	अभियुक्त खरताराम के मकान की पुष्टि बाबत ग्राम पंचायत सरपंच वरदडा को जारी पत्र
51	प्रदर्श पी–53	बरामदशुदा बंदूक के आर्म्स लाइसेंस संबंधित रिकॉर्ड चाहने बाबत पत्र
52	प्रदर्श पी–54	बरामदगी स्थल का रेवेन्यू रिकॉर्ड, जमाबंदी नकल व नक्शा ट्रेस दिलाने बाबत तहसीलदार, कुंभलगढ को जारी पत्र
53	प्रदर्श पी–55	तहसीलदार रिपोर्ट
54	प्रदर्श पी–56	मालखाना रजिस्टर की नकल
55	प्रदर्श पी–57	प्रस्थान हेतु रोजनामचा विवरण
56	प्रदर्श पी–58	आगमन हेतु रोजनामचा विवरण
57	प्रदर्श पी–59	मालखाना नकल
58	प्रदर्श पी–60	मृतक रताराम की मेडिकल रिपोर्ट
59	प्रदर्श पी–61 लगायत पी–66	एफएसएल रिपोर्ट
60	प्रदर्श पी–67	चाक एफआइआर
61	प्रदर्श पी–68	अभियोजन स्वीकृति बाबत जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट को लिखा गया पत्र
62	प्रदर्श पी–69	आर्टिकल 01 मार्क–डी की चिट
63	प्रदर्श पी–70	आर्टिकल 02 मोबाइल की चिट
64	प्रदर्श पी–71	आर्टिकल 03 मार्क–सी की चिट
65	प्रदर्श पी–72	आर्टिकल 04 मार्क–एफ की चिट

अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वस्तु साक्ष्य/आर्टिकल/मेटेरियल ऑब्जेक्ट की सूचना

क्रम संख्या	वस्तु साक्ष्य संख्या	वस्तु साक्ष्य/आर्टिकल/मेटेरियल ऑब्जेक्ट का नाम या विषयवस्तु
1	आर्टिकल–1	एक छुर्री (मार्क–डी)
2	आर्टिकल–2	जीओ कंपनी का मोबाइल
3	आर्टिकल–3	एकनाल बंदूक (मार्क–सी)
4	आर्टिकल–4	एकनाल बंदूक (मार्क–एफ)

अभियुक्त/बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी

क्रम सं.	बचाव साक्षी क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
शून्य			

अभियुक्तगण/बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रलेखों/प्रदर्शों की सूची

क्रम संख्या	प्रदर्श मार्क	दस्तावेज का नाम
01	प्रदर्श डी–1	गणेशराम के पुलिस बयान
02	प्रदर्श डी–2	श्रीमती गुलाबी के पुलिस बयान
03	प्रदर्श डी–3	कनाराम के पुलिस बयान
04	प्रदर्श डी–4	पुनाराम के पुलिस बयान

उपस्थित :–

1. राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक उपस्थित।
2. श्री देवेन्द्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 23.04.2026**

1. थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवाडा की ओर से अभियुक्त खरताराम के विरूद्ध धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में एवं अभियुक्तगण प्रताप, कनाराम उर्फ किशन, डुंगाराम, पुनाराम, मिकाराम उर्फ भिकाराम, लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम के विरूद्ध धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में अभियोग पत्र सर्वप्रथम दिनांक 18–05–2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुंभलगढ न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 18.05.2022 को ही उक्त आरोप–पत्र माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमंद को कमिट किया जाने से उक्त आरोप–पत्र में दिनांक 31–05–2022 को अभियुक्त खरताराम के विरूद्ध धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में एवं शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। इसके पश्चात् माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, राजसमंद के आदेश क्रमांक 185 दिनांक 25–06–2025 की पालना में हस्तगत पत्रावली दिनांक 27–06–2025 को इस न्यायालय में अंतरित की जाकर प्राप्त हुई, जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर सेशन केस किया गया।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी गणेशराम ने दिनांक 20.02.2022 को पुलिस थाना केलवाड़ा के समक्ष लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 15.02.2022 को शाम को उसका काका का लड़का रताराम सादड़ी

जाने का कहकर गया जो वापिस नहीं आया। गांव में पता किया तो मालूम हुआ कि रताराम सादड़ी नहीं जाकर गांव के भीकाराम, लक्ष्मण, किशन, निवासी कोटड़ा व खरताराम, परता निवासी पोकारिया सभी जंगली जानवर का शिकार करने के लिए परशुरामजी के जंगल व कुंभगलढ़ वन क्षेत्र में गए थे। इनमें से कुछ लोगों के पास टोपीदार बंदूकें थी। उसे आज लोगों से पता चला कि रताराम की लाश कुंभलगढ़ वन क्षेत्र में पड़ी है, जिस पर वह भी गया तो रताराम की लाश सड़ी–गली अवस्था में पड़ी थी। उसके कंधे पर गोली लगी हो, छेद हो रहा था। उसे पूरा विश्वास है कि रताराम के साथ शिकार करने आए, इन्हीं लोगों में से किसी ने रताराम की गोली मारकर हत्या कर दी.....इत्यादि।

3. उक्त परिवाद पर थानाधिकारी, पुलिस थाना केलवाडा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49/2022 अन्तर्गत धारा 302, 147 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 (आर्म्स एक्ट) में पंजीबद्ध किया गया एवं बाद पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त खरताराम के विरूद्ध धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में एवं अभियुक्तगण प्रताप, कनाराम उर्फ किशन, डुंगाराम, पुनाराम, मिकाराम उर्फ भिकाराम, लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम के विरूद्ध धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4. दिनांक 28.07.2022 को बहस आरोप सुनने के पश्चात् अभियुक्त खरताराम को आरोपित धारा 302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में एवं अभियुक्तगण प्रताप, कनाराम उर्फ किशन, डुंगाराम, पुनाराम, मिकाराम उर्फ भिकाराम, लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम को आरोपित धारा 302, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपित अपराधों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

5. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–01 से लगायत पीडब्ल्यू–25 को परीक्षित करवाया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य

में प्रदर्श पी–01 से लगायत प्रदर्श पी–72 को प्रदर्शित करवाया गया, जिनका उल्लेख पूर्व में सारणीबद्ध किया जा चुका है।

6. दिनांक 18.02.2026 को अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत लिये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया एवं विशेष कथन में प्रकट किया कि वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। अभियुक्तगण की ओर से अभियोजन साक्ष्य के दौरान प्रदर्श डी–1 से लगायत डी–4 को प्रदर्शित करवाया गया, जिनका उल्लेख पूर्व में सारणीबद्ध किया जा चुका है।

7. विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हुए हैं। अभियुक्त खरताराम से घटना में प्रयुक्त देसी टोपीदार बंदूक बरामद हुई है। अभियुक्तगण द्वारा अपनी इत्तलाओं के अनुसरण में घटनास्थल की तस्दीक करवायी गयी है। पत्रावली पर आयी समस्त साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होता है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

8. इसके विपरीत अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है किअभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद नहीं है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में ऐसी कोई ठोस एवं समुचित साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर कि अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सके। शक चाहे कितना ही गहरा क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता और मात्र शक के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करार नहीं किया जा सकता है। मात्र अभियुक्त खरताराम से बंदूक की बरामदगी के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अभियुक्त खरताराम द्वारा ही मृतक रताराम की हत्या की गई हो। ऐसी कोई साक्ष्य भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है, जिससे यह जाहिर आता हो कि किसी व्यक्ति ने घटना से पूर्व मृतक रताराम एवं अभियुक्तगण को एक साथ जंगल में शिकार पर जाते हुए देखा हो। अतः

अभियुक्तगण को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावे। अधिवक्ता अभियुक्तगण ने अपने तर्कों के समर्थम में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैं –

(i) Cr. Appeal No. 902/2023 (SC) [Raja Naykar Vs. State of Chattisgarh]

(ii) 2025(4) RLW 2848 (SC) [State of Rajasthan Vs. Hanuman]

(iii) Cr. Appeal No. 5641/2024 [Govind Vs. State of Haryana]

9. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध यह तथ्य युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करना है कि :–

1. क्या अभियुक्तगण खरताराम, लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम, मिकाराम उर्फ भीकाराम, कन्नाराम उर्फ किशन, पुनाराम, प्रताप व डूंगाराम द्वारा एक–दूसरे के साथ मिलकर दिनांक 15.02.2022 को किसी समय जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र केलवाड़ा के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र में परिवादी गणेशराम के काका का लड़का रताराम पुत्र जेठा की हत्या करने के सामान्य उददेश्य से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर टोपीदार बंदूक जैसे घातक हथियार से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया तथा रताराम की टोपीदार बंदूक से गोली मारकर साशय हत्या कारित की ?

2. क्या अभियुक्त खरताराम के आधिपत्य में फायर आमर्स की श्रेणी में आने वाली एक टोपीदार बंदूक एक नाल, जिसकी नाल की लंबाई 92 सेमी., बट की लंबाई 33 सेमी. चौड़ाई 12.5 सेमी, कुल लंबाई 125 सेमी. पायी गयी, को रखकर घटना में प्रयुक्त किया गया और जिसे रखने के संबंध में उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था ?

10. उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के संदर्भ में न्यायालय को सर्वप्रथम इस संबंध में विनिश्चिय करना है कि **क्या मृतक रताराम की मृत्यु मानव वध की श्रेणी में आती है ?** इस संबंध में पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसका यदि अवलोकन किया जावे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 में परिवादी गणेशलाल ने अंकित किया है कि मृतक रताराम एवं गांव के मीकाराम, लक्ष्मण, किशन, पुनाराम, डुंगा, खरताराम व परता सभी जंगल जानवर का शिकार करने के लिए गए थे, जिनमें से कुछ के पास टोपीदार बंदूक थी, सूचना मिली कि रताराम की लाश कुंभलगढ़ वनक्षेत्र में सड़ी–गली अवस्था में पड़ी

है, उसके हाथ के पीछे कंधे पर बंदूक लगी होकर छेद हो रखे थे। न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ बयानों में भी परिवादी पीडब्ल्यू–1 गणेशलाल ने इसी प्रकार के कथन किए हैं कि जब उन्होंने रताराम की लाश को देखा तो उसके कंधे पर बंदूक लगी हुई दिख रही थी। प्रकरण में परीक्षित शेष गवाहान पीडब्ल्यू–10 कनाराम व पीडब्ल्यू–11 पुनाराम ने भी अपने सशपथ बयानों में रताराम की मृत्यु उसके गोली लगने से होने के संबंध में कथन किए हैं।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–14 डॉ. नागेन्द्रपालसिंह व पीडब्ल्यू–15 डॉ. मनोज हैं, जिनके द्वारा मृतक रताराम की लाश का पोस्टमार्टम किया गया, ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ बयानों में कथन किए हैं कि वे दिनांक 20.02.2022 को सी.एच.सी. केलवाड़ा पर प्रभारी के रूप में कार्यरत होकर उनके द्वारा थानाधिकारी केलवाड़ा की तहरीर पर मृतक रताराम पिता जेताराम का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक का शरीर बदबूदार एवं सड़ने की अवस्था में था और उपर की खाल जगह–जगह से उखड़ी हुई थी। मृतक के शरीर पर गनशॉट इंजरी थी, जो कि दाहिने कंधे के उपर पीछे के भाग में 1 से.मी. गोलाकर में थी। मेडिकल बोर्ड की राय के अनुसार मृत्यु का कारण घात था, जो कि मृत्यु पूर्व फायर आर्म इंजरी के कारण शरीर के प्रमुख अंग, फेफड़ों में लगने के कारण हुई।

गवाहान पीडब्ल्यू–6 वरदादास, पीडब्ल्यू–7 रामदास गवाहान पीडब्ल्यू–8 खमाणलाल व पीडब्ल्यू–9 धन्नाराम दौराने मुख्य परीक्षण मृतक रताराम की लाश का पंचायतनामा प्रदर्श पी–3 उनके समक्ष बनाए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन करते हैं एवं गवाहान पीडब्ल्यू–6 वरदादास व पीडब्ल्यू–7 रामदास के अनुसार उनके समक्ष मृतक रताराम की लाश जरिए फर्द प्रदर्श पी–4 के सुपुर्द की गयी। पत्रावली पर उपरोक्त जो समस्त साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसका कोई भी खण्डन नहीं हुआ है और इस संबंध में गवाहान द्वारा जो कथन अपने सशपथ बयानों में किए गए हैं, वे पूर्ण रूप से ठोस एवं अखण्डित रहे हैं, जिन पर अविश्वास किए जाने का कोई भी ठोस एवं समुचित कारण हमारे समक्ष प्रकट नहीं होता है। उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि मृतक रताराम की मृत्यु प्रकरण के सामान्य अनुक्रम में नहीं होकर मानव वध की श्रेणी में आना प्रकट होती है। ऐसी स्थिति में अब न्यायालय को यह देखना है कि **मृतक रताराम की मृत्यु का**

अभियुक्तगण से क्या संबंध है और क्या मृतक रताराम की मृत्यु अभियुक्तगण द्वारा कारित की गई है? इस संबंध में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसका यदि बारिकी एवं सूक्ष्मता से विवेचन व विश्लेषण किया जावे तो अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 25 गवाहान मौखिक साक्ष्य के रूप में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराए गए हैं। सर्वप्रथम यहां अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक/प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. **प्रत्यक्षदर्शी/मौखिक साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण** :– सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 का अवलोकन किया जावे तो परिवादी गणेशलाल ने उक्त रिपोर्ट में ऐसा कहीं अंकित नहीं किया है कि किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त खरताराम या किसी अन्य अभियुक्तगण द्वारा मृतक रताराम के गोली चलाते हुए देखा हो। इसके अतिरिक्त लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 के अवलोकन से भी जाहिर आता है कि मृतक रताराम घर से यह कहकर गया कि वह सादड़ी काम पर जा रहा है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, जिसके 4 दिन पश्चात् मृतक रताराम की पत्नी गणेशी बाई द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 दर्ज करवायी गयी। उक्त दोनों रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 व प्रदर्श पी–5 के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उसमें किसी भी चश्मदीद साक्षी को नामजद नहीं किया गया है, जिसके द्वारा कि घटना देखी गयी हो।

न्यायालय के समक्ष परीक्षित गवाहान के बयानों का यदि सूक्ष्मता से अवलोकन किया जावे तो गवाह पीडब्ल्यू–1 गणेशलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ बयानों में कथन किया है कि रताराम उर्फ रतनलाल उसके काका का लड़का होकर भाई लगता है। दिनांक 15.02.2022 को रताराम घर से सादड़ी काम पर जाने का कहकर गया, उसके बाद करीब 5–7 दिन तक वह घर पर नहीं आया। तब पता चला कि मीकाराम, लक्ष्मण, पूनाराम, खरताराम व 5–6 जने व रताराम जंगल में शिकार करने के लिए गये। उसके बाद रताराम की पत्नी गुलाबी ने 3–4 दिन बाद पुलिस थाना केलवाड़ा पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवायी। फिर थोड़े दिन बाद रताराम की लाश कुंभलगढ़ परशुराम महादेव के जंगल में पड़ी हुई मिली, जहां वह एवं पुलिस वाले मौके पर गये थे। रताराम के कंधे पर गोली लगी हुई दिख रही थी। इस गवाह ने जिरह के दौरान स्पष्ट रूप से कथन किया है कि रताराम को किसने मारा, इसका उसे पता नहीं। उसने दिनांक

15.02.2022 को रताराम व मीकाराम, लक्ष्मण, किशन, पुनाराम, डूंगा, खरता व परथा को जंगल में शिकार के लिए जाते हुए नहीं देखा। साथ ही, यह भी कथन किया है कि गांव में किस व्यक्ति ने उक्त लोगों के शिकार पर जाने वाली बात बतायी, उसका नाम वह नहीं बता सकता। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–2 गुलाबी बाई ने भी अपने सशपथ बयानों में कथन किये हैं कि उसके पति के 7–8 दिन तक वापस नहीं आने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 दर्ज करवायी एवं गांव में पूछताछ करने पर पता चला कि मीकाराम, लक्ष्मण, खरताराम, पूना व डुंगा सभी लोग शिकार करने गए, जहां उसके पति को मार डाला और फिर उसके पति की लाश कुंभलगढ़ एवं परशुराम महादेव के जंगल में मिली। दौराने जिरह इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने उसके पति रताराम एवं मीकाराम, लक्ष्मण, खरताराम, पूना व डुंगा को एकसाथ जाते हुए नहीं देखा। उसके पति एवं मीकाराम, लक्ष्मण, खरताराम, पूना व डुंगा के पूर्व में कोई लड़ाई–झगड़ा नहीं हुआ था। उसके पति रताराम को किसने मारा, इसका उसे नहीं पता। इस प्रकार यह गवाह भी घटना की चश्मदीद साक्षी नहीं है एवं इस गवाह की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी ठोस साक्ष्य का सृजन नहीं होता है।

गवाह पीडब्ल्यू–3 हेमाराम मृतक रताराम का सगा भाई है, जिसने अपने सशपथ बयानों में मृतक रताराम की सूचना पर घर आने एवं उसके बाद दाह संस्कार कर देने के संबंध में तथा रताराम जंगल में किसी के साथ गया हो, ऐसा नहीं सुनने के संबंध में कथन किए हैं। इस पर विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा इस गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस प्रकार यह गवाह भी न तो घटना का चश्मदीद गवाह है और ना ही अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई कथन करता है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–4 लालुराम भी प्रकरण में पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने स्पष्ट रूप से कथन किए हैं कि रताराम कैसे मरा, उसे नहीं पता। इस गवाह ने अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी जिरह में इस बात को गलत बताया है कि उसने ऐसा सुना हो कि रताराम उक्त सभी अभियुक्तगण के साथ आज से करीब छह–सात माह पूर्व शिकार करने के लिए जंगल में गया हो और अभियुक्तगण ने रताराम को गोली से मार दिया हो। इस प्रकार यह गवाह भी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है और अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य का सृजन नहीं करता है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–10 कनाराम ने अपने

सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसने सुना था कि गांव के मृतक रताराम, मीकाराम व खरताराम वगैरह जंगल में शिकार करने के लिए गए, वहां पर गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गयी। जिरह के दौरान इस गवाह ने कथन किए हैं कि उसने रताराम और खरताराम वगैरह को एक साथ जंगल में जाते हुए नहीं देखा, उसने रताराम एवं खरताराम वगैरह के जंगल में जाने की बात किस व्यक्ति से सुनी, उसका नाम वह नहीं जानता, मृतक एवं अभियुक्तगण के बीच कोई रंजिश नहीं थी। इस प्रकार यह गवाह भी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार के कोई कथन नहीं करता है। गवाह पीडब्ल्यू–11 पुनाराम, जो मृतक रताराम का बेटा है, उसने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि रताराम जंगल में किसी के साथ शिकार करने गया हो, ऐसा उसने नहीं सुना। उसने रताराम को किसी के साथ जाते हुए नहीं देखा। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य भी अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार की ठोस साक्ष्य का सृजन नहीं करती है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से जो उपरोक्त समस्त मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, उनमें से कोई भी साक्षी घटना का चश्मदीद साक्षी नहीं है एवं किसी भी गवाहान ने अपने सशपथ बयानों में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसने अभियुक्त खरताराम या अन्य अभियुक्तगण में से किसी को मृतक रताराम के कंधे पर गोली चलाते हुए देखा हो। ऐसी दशा में यह प्रकरण पूर्ण रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो जाता है।

12. **परिस्थितिजन्य साक्ष्य :–** परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि तथ्यों की प्रत्येक कड़ी एक–दूसरे से इस प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए कि यह एक संपूर्ण श्रृंखला बन जाए और इस कड़ी का कोई भी महत्वपूर्ण भाग गायब नहीं होना चाहिए और तथ्यों की ऐसी श्रृंखला सीधे अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर इशारा करती हो। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में अभियुक्तगण की गिरफतारी, उनके द्वारा दी गई इत्तलाओं के अनुसरण में बरामदगी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, हत्या करने के पीछे अभियुक्तगण का आशय आदि महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, जिनके संबंध में विवेचन एवं विश्लेषण निम्न प्रकार से है ––

(i) **अभियुक्तगण खरताराम के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बंदूक के संबंध में आयी साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण :–** इस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–25 प्रवीण टांक ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसके द्वारा आरोपी खरताराम को जरिए फर्द प्रदर्श पी–16 के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त खरताराम द्वारा दौराने अनुसंधान स्वेच्छा से इत्तला दी कि जिस टोपीदार बंदूक से उसने रताराम की हत्या की थी, वह बंदूक वह बरामद करवा सकता है। उक्त सूचना को उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किया गया, जो सूचना प्रदर्श पी–30 है और उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त खरताराम के मकान से एक टोपीदार बंदूक जब्त जरिए प्रदर्श पी–12 के जब्त की एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–13 बनाया था। इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जो जिरह की गयी, उसका यदि अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त खरताराम से हुई उक्त बंदूक की बरामदगी के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह से कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं किए गए हैं तथा इस गवाह द्वारा जिरह में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जिससे कि अभियुक्त खरताराम के कब्जे से बंदूक की बरामदगी संदेहजनक प्रकट होती हो। उक्त फर्द बरामदगी प्रदर्श पी–12 के गवाहान पीडब्ल्यू–6 वरदादास और पीडब्ल्यू–13 प्रदीप सिंह न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुए हैं। गवाह पीडब्ल्यू–6 वरदादास ने अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि उसके समक्ष एक देसी टोपीदार बंदूक खरताराम से बरामद की गयी और उसकी फर्द बनायी थी, जो प्रदर्श पी–12 है, जिस पर ए से बी भाग में उसके हस्ताक्षर हैं। हालांकि इस गवाह ने जिरह के दौरान कथन किए हैं कि सभी फर्दों पर उसके हस्ताक्षर जिस दिन लाश मिली, उसी दिन घटनास्थल पर करवाए थे। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–13 प्रदीप सिंह ने भी अपने सशपथ बयानों में कथन किए हैं कि दिनांक 25.02.2022 को अभियुक्त खरताराम से एक देसी टोपीदार एक नाली बंदूक जब्त की थी, जिसकी फर्द प्रदर्श पी–12 है एवं बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है, जिस पर इस गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किए हैं। इस गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी, जिससे बरामदगी के संबंध में इस गवाह द्वारा किए गए कथन ठोस एवं अखण्डित रहे हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त खरताराम से एक देसी टोपीदार एक नाली बंदूक की जब्ती संदेह से परे प्रमाणित होती है।

(ii) **मृतक रताराम एवं अभियुक्तगण को अंतिम बार साथ देखे जाने (Last seen theory) के संबंध में साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण** – प्रकरण में सर्वप्रथम मृतक रताराम की पत्नी श्रीमती गुलाबी द्वारा गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 थानाधिकारी पुलिस थाना केलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें गुलाबी ने ऐसा कहीं अंकित नहीं किया है कि मृतक रताराम अभियुक्तगण के साथ शिकार पर गए हों बल्कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 के अनुसार मृतक रताराम घर से यह कहकर निकला था कि वह सादड़ी काम पर जा रह है। रिपोर्ट प्रदर्श पी–5 में अभियुक्तगण के साथ शिकार पर जाने वाली बात अंकित नहीं की गई है। तत्पश्चात् दिनांक 20.02.2022 को जो रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 प्रार्थी गणेशराम द्वारा दी गई, उसमें मृतक रताराम का अभियुक्तगण के साथ जंगली जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में जाने और इन सभी के पास टोपीदार बंदूक होने के संबंध में कथन अंकित किए हैं लेकिन उक्त कथन भी प्रार्थी गणेशराम ने अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार अंकित नहीं किए गए बल्कि गांव में पता चलने के आधार पर अंकित किए हैं। गांव में किस व्यक्ति द्वारा अंतिम बार मृतक रताराम को अभियुक्तगण के साथ शिकार करने जंगल में जाते हुए देखा गया, इसका कहीं कोई अंकन या निष्कर्ष अनुसंधान के दौरान प्रकट नहीं हुआ है। अनुसंधान के दौरान परीक्षित किसी भी गवाहान ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उसने मृतक रताराम को अभियुक्तगण के साथ शिकार पर जंगल में जाते हुए देखा हो। हालांकि घटना से पूर्व अंतिम बार मृतक रताराम व अभियुक्तगण को एक साथ जाते हुए देखा जाना एक कमजोर प्रकृति की साक्ष्य है लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है कि मृतक रताराम व अभियुक्तगण को घटना से पूर्व एक साथ शिकार पर जाते हुए किसी ने देखा हो। अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–25 प्रवीण टांक ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि *"यह कहना सही है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–1, गणेशराम के पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 व गुलाबी के पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में यह अंकित नहीं है कि किस व्यक्ति विशेष द्वारा उसे पता चला कि रताराम अभियुक्तगण के साथ शिकार करने गया था।"* ऐसी दशा में पत्रावली पर ऐसी कोई श्रृखंलाबद्ध साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो कि वास्तव में मृतक रताराम एवं अभियुक्तगण को एक साथ जंगल में शिकार पर जाते हुए देखे जाने की कड़ी को जोड़ती हो। ऐसी स्थिति में घटना से पूर्व

मृतक रताराम एवं अभियुक्तगण को एक साथ देखे जाने के संबंध में भी कोई ठोस एवं समुचित साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

(iii) **अभियुक्तगण की इत्तला के अनुसरण में घटनास्थल तस्दीक के संबंध में साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण** – प्रकरण में अभियुक्तगण खरताराम, प्रताप, कन्नाराम, पुनाराम व डुंगाराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तलाओं के अनुसरण में उक्त अभियुक्तगण की निशादेही से फर्द घटनास्थल तस्दीक प्रदर्श पी–14 एवं अभियुक्तगण मिकाराम व लक्ष्मणराम द्वारा दी गयी धारा 27 साक्ष्य अधिनियक की इत्तलाओं के अनुसरण में उक्त अभियुक्तगण की निशादेही से फर्द तस्दीक घटनास्थल प्रदर्श पी–15 अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुर्तिब किए गए लेकिन उल्लेखनीय है कि घटनास्थल अनुसंधान अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी से पूर्व ही देखा जा चुका था और इस संबंध में स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि *"यह कहना सही है कि अभियुक्तगण द्वारा मौका घटनास्थल तस्दीक करवाये जाने से पूर्व मैं घटनास्थल पर गया था।"* ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा घटनास्थल की तस्दीक करवाए जाने की साक्ष्य भी एक कमजोर प्रकृति की साक्ष्य प्रकट होती है।

(iv) **मृतक रताराम की हत्या करने का अभियुक्तगण का आशय (Motive of Intention)** – प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तलाओं के अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो यह प्रकट करती हो कि मृतक रताराम एवं अभियुक्तगण के बीच घटना से पूर्व किसी प्रकार का झगड़ा हुआ हो या मृतक रताराम की अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई रंजिश या दुश्मनी रही हो। जिन गवाहान द्वारा धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में इस प्रकार के कथन किए गए हैं, वे न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण का मृतक रताराम की हत्या करने का कोई आशय रहा हो, इस संबंध में भी कोई ठोस एवं समुचित साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

(v) **विधि विज्ञान प्रयोगशालाल के संबंध में आयी साक्ष्य का विवेचन एवं विश्लेषण :–** इस संबंध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का गहनतापूर्वक अवलोकन किया

जावे तो अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–25 प्रवीण टांक ने अपने सशपथ बयानों में कथन किए हैं कि घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी व उसके पास कन्ट्रोल सैम्पल मिट्टी ली जाकर अलग–अलग कपड़े की थैली में डालकर फर्द प्रदर्श पी–8 बनायी गयी। घटनास्थल से एक टोपीदार बंदूक, जिसमें बारूद भरा हुआ था, जिसे खाली कर कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट अंकित कर मार्क सी–1 अंकित किया। मौके पर मृतक की पीठ के पीछे बंधे बैग में लोहे का धारदार छुर्रा जरिए फर्द प्रदर्श पी–10 के जब्त किया गया। मृतक की पहनी हुई पेंट की जेब से मिला मोबाइल जरिए फर्द प्रदर्श पी–11 के जब्त किया गया एवं अभियुक्त खरताराम के कब्जे से एक टोपीदार बंदूक जरिए फर्द प्रदर्श पी–13 के जब्त की गयी। एम.ओ. द्वारा बाद परीक्षण मृतक के शरीर से बरामद छर्रे को कांच की बोतल में, जो कि सीलचिट होकर थाने में प्राप्त हुए थे। उक्त समस्त जब्तशुदा आर्टिकल जरिए अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–21 लगायत प्रदर्श पी–27 के एफएसएल में जमा कराने हेतु दिए थे। एसपी कार्यालय का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–22 एवं प्रदर्श पी–28 है। एफएसएल रसीद प्रदर्श पी–23 व पी–29 है, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–61 लगायत प्रदर्श पी–66 है, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। इस प्रकार घटनास्थल से एवं खरताराम के कब्जे से जो बरामदगी अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गयी, उन आर्टिकल्स को अनुसंधान अधिकारी द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया एवं जांच एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी–61 लगायत प्रदर्श पी–66 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। इस गवाह द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान जो उपरोक्त कथन किए गए हैं, उनके संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह से किसी प्रकार की कोई जिरह नहीं की गयी, जिससे इस गवाह के बयान पूर्ण रूप से ठोस एवं अखण्डित रहे हैं।

पीडब्ल्यू–13 प्रदीप सिंह मालखान इंचार्ज होकर उसे इस प्रकरण में जब्तशुदा पैकेट सीलचिट अवस्था में संभलाए गए, जिसे उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में दर्ज किया जाकर दिनांक 19.04.2022 को कानि. रितेश कुमार को चार पैकेट्स सीलचिट अवस्था में एवं दिनांक 26.05.2022 को कानि. राकेश कुमार को प्रकरण का मार्क–एक्स सीलचिट अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजने हेतु संभलवाए, जिनके द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल जमा कर रसीद पेश की गई, जिसका इंद्राज

उसके द्वारा मालखाना रजिस्टर में किया गया और इससे संबंधित दस्तावेजात पर इस गवाह ने अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किए हैं।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–12 राकेश कुमार न्यायालय के समक्ष परिक्षित हुआ है, जिसने अपने सशपथ बयानों में दिनांक 26.05.2022 को प्रकरण के अनुसंधानकर्ता द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल सीलचिट अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाने हेतु मालखाना इंचार्ज ने उसे मय दस्तावेज दिए, जिस पर वह थाने से रवाना होकर एसपी राजसमंद पहुंच अग्रेषण पत्र तैयार करवा विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर में जमा करवा रसीद लाकर सुपुर्द की। थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्श पी–22 एवं एफएसएल जयपुर द्वारा जमा करवाने की प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी–23 होने के संबंध में कथन किए हैं।

गवाह पीडब्ल्यू–16 रितेश कुमार ने अपने सशपथ बयानों में प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल कुल चार पैकेट सीलचिट अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवा रसीद मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने एवं संबंधित दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर होने के संबंध में कथन किए हैं। उक्त दोनों गवाहान पीडब्ल्यू–12 राकेश कुमार व पीडब्ल्यू–16 रितेश कुमार से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोई जिरह नहीं की गयी, जिससे उक्त आर्टिकल्स विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भेजे जाने एवं एफएसएफ रिपोर्ट प्राप्त होने तक की किसी भी कार्यवाही में किसी प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान के दौरान जब्त किए गए आर्टिकल्स, जिनमें खून, आलूदा मिट्टी मार्क–ए, कन्ट्रोल सैम्पल मार्क–बी, बंदूक जो कि मृतक रताराम की लाश के पास से बरामद की गई मार्क–सी और उक्त बंदूक में पाए गए पदार्थ को निकालकर एक थैली में पैक किया गया, जो मार्क सी–1 मृतक रताराम की लाश के पास से बरामद धारदार छुर्रा मार्क–डी, मोबाइल मार्क–ई, अभियुक्त खरताराम के कब्जे से जो बंदूक बरामद की गई, वह मार्क–एफ तथा मृतक रताराम के शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान दो शीशे के छर्रे (दो लीड पैलेट्स) मार्क–एक्स हैं। उक्त सभी जब्तशुदा आर्टिकल्स विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजे गए। ऐसी दशा में अब न्यायालय को यह देखना है कि **क्या मृतक रताराम के शरीर पर पोस्टमार्टम के दौरान जो**

दो शीशे के छर्रे (दो लीड पैलेट्स) बरामद हुए, वे अभियुक्त खरताराम से बरामदशुदा बंदूक से ही चलाए गए थे अथवा नहीं?

इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–64 महत्वपूर्ण है, जिसका हूबहू उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके अनुसार "Two irregular shaped lead pieces from packet 'X' are fired lead pieces and these lead pieces are normally used as loose projectile in muzzle loading firearm and these two irregular shaped lead pieces could have been fired from muzzle loading firearms(s). However, is has not been possible to link definitely these two irregular shaped lead pieces from packet 'X' with submitted one S.B.M.L. country made gun (W/1) from packet 'F' , due to lack of sufficient evidence."

इसी प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–62 का अवलोकन किया जावे तो अभियुक्त खरताराम से जब्तशुदा बंदूक मार्क–एफ एक फायर आर्म्स होकर चालू अवस्था में थी और केमिकल एक्जामिनेशन से भी स्पष्ट है कि उक्त देसी बंदूक से फायर किया गया था। इसी प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–64 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनियमित आकार के दो शीशे के टुकड़े (छर्रे), जो कि मार्क–एक्स होकर मृतक रताराम के शरीर से दौराने पोस्टमार्टम निकाले गए तथा मार्क–एफ, जो कि एक देसी बंदूक एस.बी.एम.एल (सिंगल बैरल मजल लोडिंग) के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण मार्क–एक्स से प्राप्त शीशे के दो टुकड़े (छर्रे) को मार्क–एफ से प्राप्त एसएमबीएल की देसी बंदूक से निश्चित रूप से जोड़ा जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक रताराम के शरीर से मिले छर्रे अभियुक्त खरताराम से बरामदशुदा बंदूक से ही चलाए गए हों, इस संबंध में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–61 लगायत पी–66 कोई निश्चायक परिणाम नहीं देती है। निष्कर्ष रूप में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की उक्त रिपोर्ट भी अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी महत्वपूर्ण साक्ष्य का सृजन नहीं करती है।

13. **<u>निष्कर्ष</u> ––** निष्कर्ष रूप में उपरोक्त समस्त साक्ष्य का यदि समग्र रूप में बारीकि एवं सूक्ष्मता से विवेचन एवं विश्लेषण किया जावे तो अभियुक्तगण द्वारा मृतक

रताराम की हत्या करने के संबंध में कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य पत्रावली पर विद्यमान नहीं है, साथ ही जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पत्रावली पर प्रकट हुई है, उसमें अभियुक्त खरताराम के कब्जे से देशी टोपीदार बंदूक बरामद होना साक्ष्य से प्रमाणित होता है लेकिन अभियुक्त खरताराम द्वारा ही जब्तशुदा बंदूक से मृतक रताराम के गोली चलाकर हत्या की गई हो, इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार मृतक रताराम के शरीर से पोस्टमार्टम के दौरान जो दो शीशे के छर्रे (दो लीड पैलेट्स) मिले हैं, वे अभियुक्त खरताराम से जब्तशुदा बंदूक से चलाए गए हों, इस संबंध में स्पष्ट साक्ष्य नहीं होने से कोई स्पष्ट निष्कर्ष भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नहीं दिया गया है। किसी भी व्यक्ति ने मृतक रताराम एवं अभियुक्तगण को घटना से पूर्व अंतिम बार एक साथ जंगल में शिकार पर जाते हुए नहीं देखा है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगण का मृतक रताराम की हत्या करने का कोई आशय रहा हो, इस संबंध में भी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है।

प्रकरण में जो उपरोक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि तथ्यों की प्रत्येक कड़ी एक–दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई नहीं है कि ये अभियुक्तगण के दोषसिद्ध होने की ओर इशारा करती हो। पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से ऐसा प्रकट होता है कि संभवतया अभियुक्तगण द्वारा मृतक रताराम की हत्या की गई हो लेकिन उल्लेखनीय है कि मात्र संभावना या शक के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत (2023) 0 Supreme (SC) 214 Pradeep Kumar vs State of Chhattisgarh (Criminal Appeal No. 1304 of 2018 decided on 16–3–2023) में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि –

> ***6.*** *Suspicion, howsoever grave or probable it may be, cannot substitute the evidence, be it circumstantial or direct in nature, in establishing the guilt of the accused beyond reasonable doubt, the onus of which, at the first instance, is to be discharged by the prosecution. The distance between "may be" and "must be" is quite large and it divides vague conjectures from solid*

conclusions. (Shivaji Sahabrao Bobade and Another vs State of Maharashtra, (1973) 2 SCC 793)

आगे इसी न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि –

***9.** The accused cannot be convicted on the principles of preponderance of probability. It is the duty of this Court to ensure avoidance of miscarriage of justice at all costs and the benefit of doubt, if any, given to the accused. (Sujit Biswas vs. State of Assam, (2013) 12 SCC 406, Hanumant Govind Nargundkar vs. State of M.P. AIR 1952 SC 343 and State vs. Mahender Singh Dahiya, (2011) 3 SCC 109).*

आगे इसी न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि –

***24.** It is important to note that the cardinal principles in the administration of criminal justice in cases where heavy reliance is placed on circumstantial evidence, is that where two views are possible, one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the one which is favourable to the accused must be adopted. (Kali Ram vs. State of H.P.(1973) 2 SCC 808).*

आगे इसी न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि –

***25**. The presumption of innocence remains in favour of the accused unless his guilt is proven beyond all reasonable doubts against him. (Babu v. State Kerala,) (2010) 9 SCC 189). The cherished principles or golden threads of proof beyond reasonable*

doubt which runs through the web of our law should not be stretched morbidly which was done by the Courts below.

आगे इसी न्यायिक दृष्टांत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि –

26. *This Court has stated essential conditions that must be fulfilled before an accused can be convicted in a case revolving around circumstantial evidence in the landmark case of Sharad Birdhichand Sarda vs. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116:*

"153. *A close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established:*

(1) *the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It may be noted here that this Court indicated that the circumstances concerned "must or should" and not "may be" established. There is not only a grammatical but a legal distinction between "may be proved" and "must be or should be proved" as was held by this Court in Shivaji Sahabrao Bobade vs. State of Maharashtra, (1973) 2 SCC 793 : 1973 SCC (Cri) 1033 : 1973 Cri. L.J. 1783, where the observations were made: (SCC Para 19, p. 807 : SCC (Cri) p. 1047)*

"Certainly, it is a primary principle that the accused must be and not merely may be guilty before a court can convict and the mental distance between 'may be' and 'must be' is long and divides vague conjectures from sure conclusions."

(2) *the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they*

should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty.

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved.

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused."

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के पश्चात स्पष्ट है कि शक चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है। अभियुक्त को संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है और यदि संदेह का लाभ कोई हो तो वह अभियुक्त को ही दिया जाना चाहिए।

14. प्रकरण में अभियुक्त खरताराम से बंदूक की बरामदगी हुई है लेकिन अभियुक्त खरताराम के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत अभियोजन चलाए जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई अभियोजन स्वीकृति जारी की गई हो तो वह पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसी किसी अभियोजन स्वीकृति को न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। इस संबंध में **आयुध अधिनियम, 1959** की **धारा 39** का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके अनुसार -- *"किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई अभियोजन जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।"* चूंकि प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन स्वीकृति न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवायी गयी है। ऐसी दशा में अभियुक्त खरताराम को धारा 3/25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। निष्कर्ष रूप में पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस एवं समुचित साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिसके आधार पर

कि अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सके। अतः उपरोक्त विवेचना की रोशनी में हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है।

15. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना प्रकरण संदेह से परे साबित करना होता है और यदि इसमें लेशमात्र भी संदेह होता है तो इसका फायदा अभियुक्तगण को जाता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण खरताराम, लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम, मिकाराम उर्फ भीकाराम, कन्नाराम उर्फ किशन, पुनाराम, प्रताप व डूंगाराम द्वारा एक–दूसरे के साथ मिलकर दिनांक 15.02.2022 को किसी समय जिला राजसमंद के आरक्षी केन्द्र केलवाड़ा के कुंभलगढ़ वन क्षेत्र में परिवादी गणेशराम के काका का लड़का रताराम पुत्र जेठा की हत्या करने के सामान्य उददेश्य से विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर टोपीदार बंदूक जैसे घातक हथियार से सुसज्ति होकर बलवा कारित किया तथा रताराम की टोपीदार बंदूक से गोली मारकर साशय हत्या कारित की तथा अभियुक्त खरताराम द्वारा अपने आधिपत्य में फायर आमर्स की श्रेणी में आने वाली एक टोपीदार बंदूक एक नाल को रखकर घटना में प्रयुक्त किया गया और जिसे रखने के संबंध में उसके पास कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था।

16. अतः उपरोक्त समस्त विवेचना की रोशनी में अभियुक्त खरताराम धारा 148, 149, 302 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं शेष अभियुक्तगण लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम, मिकाराम उर्फ भीकाराम, कन्नाराम उर्फ किशन, पुनाराम, प्रताप व डूंगाराम धारा 148, 149, 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किये जाने योग्य पाए जाते हैं।

आदेश

17. अतः अभियुक्त खरताराम को धारा 148, 149, 302 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम एवं शेष अभियुक्तगण लक्ष्मणराम उर्फ लसमाराम, मिकाराम उर्फ भीकाराम, कन्नाराम उर्फ किशन, पुनाराम, प्रताप व डूंगाराम को धारा 148, 149, 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों में संदेह का लाभ देकर

दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में 10,000/- रूपये के जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के लिए अभियुक्तण द्वारा न्यायालय के समक्ष विगत पेशी पर प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं।

19. प्रकरण में फर्द जब्ती अनुसार जब्तशुदा खून आलूदा मिट्टी, लोहे का धारदार छुर्रा को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार नष्ट किया जावे। मृतक की लाश के पास से जब्तशुदा एवं अभियुक्त से जब्तशुदा टोपीदार बंदूक को बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार जिला शास्त्रागार में जमा करवाया जावे। प्रकरण में मृतक की पेंट से मिले मोबाइल को बाद गुजरने मियाद अपील परिवादिया गुलाबी को सुपुर्द किया जावे।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी. एक्ट केसेज, राजसमन्द

20. निर्णय आज दिनांक **23.04.2026** को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा शर्मा)
विशिष्ट न्यायाधीश
एस.सी./एस.टी. एक्ट केसेज, राजसमन्द